

	प्रमंडल सुचना एवं संसाधन विभाग	पर्यवेक्षक	01	1025/-	62000 /-	4500/-	5200/-
4.	प्रमंडल सुचना एवं संसाधन विभाग	रिसेप्शनिष्ट	04	325/-	22000 /-	2500/-	4500/-
5.	जिला कार्यालय	जिला परियोजना प्रबंधक	प्रत्येक जिला में 01	1025/-	65000 /-	4500/-	4500/-
6.	जिला कार्यालय	सहायक	01	585/-	65000 /-	4500/-	4500/-
7.	जिला सुचना एवं संसाधन विभाग	रिसेप्शनिष्ट	02	325/-	22000 /-	2500/-	4500/-
8.	जिला सुचना एवं संसाधन विभाग	क्षेत्रीय परियोजना पदाधिकारी	अनुमंडल में 01	525/-	42000 /-	2500/-	4500/-
9.	जिला सुचना एवं संसाधन विभाग	प्रखंड परियोजना पदाधिकारी	प्रत्येक प्रखंडों में 01	525/-	25000 /-	2500/-	4500/-
10.	जिला सुचना एवं संसाधन विभाग	पंचायत समन्वयक	प्रत्येक तीन पंचायतों पर एक	325/-	15000 /-	2500/-	3000/-

F- स्थानांतरण

ग्रुप-ए और ग्रुप-बी में शामिल सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का पद स्थानांतरण प्रत्येक तीन-तीन महीना पर किया जाएगा।

1. प्रत्येक तीन-तीन महीनों का प्रोग्रेस रिपोर्ट 75 प्रतिशत से उपर आने पर पद स्थानांतरण या पदोन्नति का प्रस्ताव संस्थान एवं उनके संबंधित विभाग ले सकता है। परंतु 55 प्रतिशत से नीचे प्रोग्रेस रिपोर्ट पर केवल स्थानांतरण का निर्णय लिया जाएगा।
2. स्थानांतरण या पदोन्नति या विमुक्ति सूची में शामिल पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्तमान के सभी प्रभार प्रस्तावित विभाग (कार्यालय) जमा कर देने उपरांत ही नए प्रभार दिया जा सकता है अन्यथा नहीं पद से विमुक्त किए गए पदाधिकारियों, कर्मचारियों को केवल प्रभार जमा करना होगा।
3. सूचना पत्र में प्रकाशित तिथि तक प्रभार जमा नहीं करने वाले कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को पद स्थानांतरण या पदोन्नति नहीं दिया जाएगा उन्हें सेवा से विमुक्त कर दी जाएगी।

G- बैठक

ग्रुप-ए और ग्रुप बी में शामिल सभी अभ्यर्थियों का मासिक एवं अर्धमासिक समीक्षा बैठक प्रस्तावित विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा बुलाई जाएगी आपातकालीन बैठक कभी भी आमंत्रित कर सकता है।

1. प्रस्तावित विभागों के द्वारा आमंत्रित किए गए समीक्षा बैठक में सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगा।
2. बैठक में वगैर सूचना के अनुपस्थित पाए गए पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रस्तावित विभागीय पदाधिकारी कम से कम 7 दिन अधिक से अधिक समय के लिए उपस्थिति निरस्त कर मासिक सुविधाओं से वंचित कर सकता है।
3. लगातार तीन बैठक में अनुपस्थित पाए गए पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को पद से विमुक्त करने का प्रस्ताव पत्र अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को भेज सकता है एवं निर्णय आने उपरांत विमुक्त कर सकता है।



ग्रुप ए और ग्रुप बी में शामिल पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का मासिक दे सुविधाओं में 11 प्रतिशत भविष्य निधि फंड काटी जाएगी या भविष्य निधि प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में 17 प्रतिशत अतिरिक्त वार्षिक सहायता के साथ भुगतान दिया जाएगा।

I- आयकर (TDS)

ग्रुप- ए और ग्रुप- बी में शामिल पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का वार्षिक आय के अनुकूल कर ली जाएगी। यह कर भारत सरकार के संवैधानिक संस्थान आयकर विभाग को प्राप्त होगा।

मासिक सुविधाओं का भुगतान

ग्रुप-ए और ग्रुप-बी में शामिल पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का मासिक सुविधाएं प्रति महीना 10 तारीख तक भुगतान निजी खाता संख्या पर अनुमोदित करेगी।

समय सीमा में भुगतान नहीं होने पर विभाग के द्वारा सूचना दिया जा सकता है।

J. कार्रवाई

निम्नलिखित अवस्था में ग्रुप-ए और ग्रुप-बी में शामिल पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के उपर दंडात्मक कार्रवाई एवं जुर्माना या सेवा में विमुक्त किया जा सकता है।

1. नियम निर्देश के विपरीत कार्य करने पर अथवा पालन नहीं करने पर।
2. भ्रष्टाचारी गमन दुराचारी एवं अन्य असंवैधानिक अथवा संवेदनशील मामलों में दोषी पाए जाने पर।
3. न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने पर।
4. पगल या मृत्यु होने पर।
5. लगातार तीन बैठक में अनुपस्थित पाए जाने पर।
6. अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
7. स्वयं त्यागपत्र देने पर।

दंडात्मक और अनुशासित कार्रवाई अथवा जुर्माना प्रस्तावित विभाग के प्रमुख या पदाधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। आगे नियमावली में संशोधन हो सकता है।

प्रमाणित किया जाता है। N.M.C. 2019-20/03 की सच्ची प्रतिलिपी हैं भविष्य में संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सकता है।



मुख्य परियोजना प्रबंध निदेशक

ह0-

मुख्य वित्त निदेशक

ह0-

संयुक्त वित्त निदेशक

ह0-

प्रबंध निदेशक अजीविका

ह0-

